राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक प0 9(46)राज–6/2015/09

जयपुर, दिनांक 21/8/17

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

–:परिपत्र:–

भारत सरकार को यह ध्यान में आया है कि कतिपय केबल ऑपरेटर अपने केबल नेटवर्क पर कुछ टीवी चेनल्स का प्रसारण करते है और वह चेनल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिकृत नही है। ऐसे अनाधिकृत टीवी चेनल्स का प्रसारण या पुर्नप्रसारण केबल टीवी अधिनियम 1995 एवं इसके अन्तर्गत बने नियम 6(6) का उल्लंघन है एवं जिला मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों में कार्यवाही कर सकते है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि ऐसे किसी टीवी चेनल का प्रसारण केबल ऑपरेटर्स द्वारा आपके जिले में नही हो, जो कि नियमान्तर्गत अधिकृत नही है। कृपया इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 08.07.2016 (2 परिपत्र) की अनुपालना सुनिश्चित की जावे।

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 12.07.2016, 30.09.2016, 24.10.2016, 25.01.2017, 06.03.2017 एवं 04.05.2017 द्वारा निर्देशित किया गया है कि केबल टीवी ऑपरेटर केवल अधिकृत चेनल ही प्रसारण करे एवं अनाधिकृत चेनल का प्रसारण नही करे। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि ऐसे किसी टीवी चेनल का प्रसारण केबल ऑपरेटर्स द्वारा आपके जिले में नही हो जो कि नियमान्तर्गत अधिकृत नही है। कृपया इसकी पालना सुनिश्चित करावे।

(पी.एस.बिश्नोई)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः– अपर सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन नई दिल्ली को उनके पत्र क्रमांक 2/91/2016 (पार्ट–1) DAS दिनांक 20.06.2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

संयुक्त शासन सचिव

acer/D/lalit/ईमेल **(dsrevenue6@gmail.com)**